लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनाँक 15 दिसम्बर 2014 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1-	डॉ0 एस0बी0 निमसे, कुलपति	– अध्यक्ष
2-	प्रो0 ए0के0 सेनगुप्ता, प्रति–कुलपति	– सदस्य
3-	प्रो0 निरूपमा अग्रवाल	– सदस्य
4-	प्रो0 रश्मि पाण्डेय	– सदस्य
5-	प्रो0 डी0पी0 तिवारी	– सदस्य
6-	प्रो0 काली चरण सनेही	– सदस्य
7-	श्री अनिल कुमार सिंह	– सदस्य
8-	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	– सदस्य
9-	डॉ0 सूर्यकान्त	– सदस्य
10-	डॉ0 रीता	– सदस्य
11-	डॉ0 बी0डी0 सिंह	– सदस्य
12-	डॉ0 मो0 सिराजुद्दीन	– सदस्य
13-	डॉ0 यू0एन0 सिन्हा	– सदस्य
14-	डॉ0 बबिता जयसवाल	– सदस्य
15-	डॉ0 एस0पी0 सिंह	– सदस्य
16-	श्री आर0सी0 त्रिपाठी	– सदस्य
17-	सुश्री परवीन तलहा	– सदस्य
18-	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	– सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी द्वारा नामित श्री रत्नेश्वर भारती, लेखाधिकारी भी उपस्थित रहे।

Scanned by CamScanner

बैठक के प्रारम्भ में सचिव महोदय ने सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा कार्य परिषद में नवागत माननीय सदस्य प्रो0 काली चरण सनेही, हिन्दी विभाग तथा कुलसचिव महोदय का भी स्वागत किया गया। कार्य परिषद की बैठकों में डॉ0 महेन्द्र कुमार, उपाचार्य, विधि विभाग के द्वारा समय–समय पर प्रदत्त मार्गदर्शन के लिए मा0 कुलपति महोदय ने आभार व्यक्त किया।

बैठक प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री सुरेश चन्द्र तिवारी एवं श्री अनिल सिंह द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि गणित विभाग में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कर दिया गया है तथा किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आरक्षण नीति पर दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।

मद संख्या 01 : कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.09.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:–

1. दिनांक 04.09.2014 के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 09 पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्तर पर 2.5 करोड़ रुपये का अंशदान जारी कर दिया जाय तथा शेष धनराशि के लिए अन्य संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय इस सम्बन्ध में कार्य परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बी0एड0 परीक्षा 2010 से प्राप्त धनराशि में से 2.5 करोड़ रुपये से अतिरिक्त जो धनराशि बचती है उससे medical corpus fund बनाया जाय। इसके साथ medical corpus fund के नाम, नियम तथा शर्तें बनायी जांय।

2. कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.09.2014 की कार्यसूची के मद संख्या 17 में विभाग में रिक्त मौलिक पद की तिथि के column से क्रम संख्या 03 एवं 04 के समक्ष अंकित निम्न पंक्तियों को विलोपित करते हुए पढ़ा जाय।

(i)"विभाग में रिक्त 05 पद के सापेक्ष 02 पर अनुसूचित जाति 01 पद अ0पि वर्ग के शेष हैं"

(ii)"तथा अभिमत व्यक्त किया कि क्रमांक 03 व 04 के शिक्षकों की अर्हता तथा आरक्षण व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षणोपरान्त चयन समिति में अनके प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाय।"

Scanned by CamScanner

3. दिनांक 04.09.2014 के कार्यवृत्त के अध्यक्ष महोदय के अन्य मद के प्रस्तर 'ग' तथा 'घ' को निम्न संशोधन के साथ पढ़ा जायः—

प्रस्तर 'ग'

लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यूनानी संकाय को कार्यवृत्त से विलोपित करके पढ़ा जाय।

प्रस्तर 'घ'

कार्य परिषद ने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 04.09.2014 जिसे परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर डी0पी0 तिवारी नाम के उल्लेख को विलोपित समझा जाय।

मद संख्या 02: परिषद दिनांक 04.09.2014 तथा दिनांक 16.10.2014 की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए मद संख्या 01 के उपर्युक्त संशोधनोसहित सम्पुष्टि की।

मद संख्या 03: महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में दीक्षान्त समारोह सम्पन्न कराये जाने की निर्धारित तिथि दिनांक 19 जनवरी 2015 पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 04: गोल्ड मेडल से सम्बन्धि प्रस्ताव पर समस्त माननीय सदस्यों द्वारा गोल्ड मेडल हेतु जमा की गयी धनराशि पर आपत्ति उठाते हुए 1,00,000/— रुपये के स्थान पर 5,00,000/— रुपये किये जाने का अनुरोध किया गया जिसपर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 15.12.2014 की कार्यसूची में जो मेडल सम्बन्धी प्रस्ताव हों उनको कार्यालय द्वारा शेष धनराशि जमा करने हेतु पत्र भेज दिया जाय तथा उपरोक्त धनराशि को जमा करने के उपरान्त अनुमोदित समझा जाय।

तथा भविष्य में पदक के लिए अनुरोध किये जाने पर कुलसचिव द्वारा उनका पूर्ण जीवन वृत्त (Bio-Data) एवं विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख अनुरोध पत्र के साथ प्राप्त किया जाय तथा साथ ही कुलसचिव द्वारा यह भी देख लिया कि पदक जिस व्यक्ति के नाम आवंटित किया जा रहा है उसका Credentials क्या हैं एवं उनके नाम पर पदक देना औचित्य पूर्ण है या नहीं?

Scanned by CamScanner

मद संख्या 05: परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम 1973, यथा संशोधित (1599) के अन्तर्गत प्रो0 दिनेश शर्मा को दिनांक 01.11.2014 से 30.04.2015 तक का वेतनरहित असाधारण अवकाश प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित "सहर्ष" शब्द पर आपत्ति जतायी और सहर्ष शब्द न लगाया जाय।

मद संख्या 06: प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, आचार्य, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति पद का कार्यकाल पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 01.10.2014 से छः माह तक के लिए संशोधित परिनियम 15.11 (III) के अन्तर्गत वेतनरहित असाधारण अवकाश तथा परिनियम 15.19 (II) (B) के प्राविधानान्तर्गत प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन की वार्षिक वेतनवृद्धि को संरक्षित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 07: परिषद द्वारा नोटिस संख्या–रिसर्च/09/2014 दिनांक 01.10.2014, रिसर्च/10/2014 दिनांक 01.11.2014, रिसर्च/10ए/2014 दिनांक 11.11.2014 तथा रिसर्च/11/2014 दिनांक 04.12.2014 में दिये गये परिणामानुसार रिसर्च शोधार्थियों को डी0लिट्/पीएच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 08: परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा यह बताया गया कि भूगोल विषय को सम्मिलित करते हुए जिन–जिन विभागों में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षकों की आवश्यकता के लिए प्राप्त विज्ञापन को एक साथ विज्ञापित कराया जाय। सभी विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप संविदा/दैनिक वेतन पर शिक्षकों के पद को एक साथ विज्ञापित किया जाय जिस पर परिषद द्वारा विज्ञापन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 09: डॉ0 गीतांजलि मिश्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग को यू0के0 में शोध कार्य हेतु दिनांक 22.09.2014 से 21.12.2014 तक पूर्ण वेतन पर स्टडी लीव प्रदान किये जाने पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 10: डॉ0 ताज आलम, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा), कम्प्यूटर विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए रिक्त पद को पुनः विज्ञापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। ऐसे पद सभी पदों का विज्ञापन मद संख्या 08 के साथ जोड़ दिया गया है।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 11–(क) कार्य परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत डॉ0 आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0लिब0 (बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस) को अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2015–16 से एक सेक्शन सहित प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा यह निर्देश दिये कि उक्त महाविद्यालय के लैब में प्रयुक्त सामग्रियों को क्रय करने से सम्बन्धित बिल बाउचर मूल रूप से उपलब्ध करा लियें जाय जिसका भौतिक सत्यापन कुलसचिव महोदय द्वारा किये जाने के उपरान्त परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या 11–(ख) कार्य परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत डॉ0 आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0एड0 पाठ्यक्रम को सत्र 2015–16 से स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये कि इनके मानक को पुनः जाचोंपरान्त तथा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फोटोग्राफ तथा वेतन सूची सम्बन्धी समस्त दस्तावेज मूल रूप से उपलब्ध करा लिया जाय एवं वेतन आहरण चेक द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं इस पर कार्यालय द्वारा सत्यापन करा लिया जाय। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 12: परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की मृत्योपरान्त उनके आश्रितों को सेवा भर्ती नियमावली 1994 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों पर शैक्षिक अर्हता एवं शासनादेश में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 कुलपति जी द्वारा 14 कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1999 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 13: कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.07.2014 के मद संख्या 07 पर लिए गए निर्णय व समिति की संस्तुतियों पर समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर विनयमितीकरण नियमावली 1998 एवं 2001 तथा शासनादेश दिनांक 08.09.2010 एवं 27.01.2011 में की गई व्यवस्था के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 29.06.1991 तक कार्यरत 26 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विनियमितीकरण किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 14: विशेष सचिव की अध्यक्षता में शासन द्वारा अवकाश नगदीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर हुई समस्त राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारियों की सपन्न बैठक में निर्देश दिये गये कि जो विश्वविद्यालय अपने संसाधनों/श्रोतों से अवकाश नगदीकरण का भुगतान करते हैं एवं जो विश्वविद्यालय नहीं कर पाते हैं। उसका प्रस्ताव कार्य परिषद से अनुमोदित करा कर शासन को प्रेषित करें।

इस प्रकरण को कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय सदस्यों ने कहा कि कर्मचारी कल्याणार्थ पूर्व की व्यवस्था लागू रखी जाय एवं शासन को सन्दर्भित किया जाय कि विश्वविद्यालय काफी घाटे की स्थिति में है। कुलसचिव ने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रकरण को वित्त समिति में सन्दर्भित कर परीक्षण करा लिया जाय कि विश्वविद्यालय प्रश्नगत व्यय को वहन करने में सक्षम है या नहीं? किन्तु इस व्यवस्था को पूर्ववत् (Status Quo) बनाए रखने पर संकल्प लिया एवं शासन को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या 15: परिषद द्वारा दिनांक 31.10.2014 की सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक में मद संख्या 11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 शैलेश कुमार कौशल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं डॉ0 पी0सी0एस0 यादव, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा डॉ0 आर0बी0 सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ पर लगे डी बार को हटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 16: प्रो0 मधुरिमा, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग को महाराजा अग्रसेन इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज़, अफिलेटेड गुरुगोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में "An Empirical Assessment of Quality of Work Life in the Faculties of State: Universities of Management Studies" के प्रोजेक्ट पर कार्य करने हेतु पूर्ण वेतन पर दिनांक 01 दिसम्बर 2014 से 31 मई 2015 तक (06 माह) का Sabbatical Leave को प्रो0 मधुरिमा, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2014 के क्रम में स्थगित किये जाने के निर्णय को परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 17: परिषद द्वारा श्री रंजन मेहरोत्रा (अनुचर, कुलसचिव कार्यालय) पुत्र श्री बी0पी0डी0 मेहरोत्रा का स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण श्री रंजन मेहरोत्रा (लगातार 20 वर्षों की अनवरत सेवा के उपरान्त) का स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 18 कला एवं शिल्प महाविद्यालय में कार्यरत इन्सट्रक्टर्स का प्रकरण विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त विद्या परिषद की बैठक दिनांक 11.12.2014 को पद एवं प्रवक्ता वेतनमान देने हेतु रखा गया। विद्या परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त प्रवक्ता/वेतनमान का प्रस्ताव निरस्त कर दिया।

इसी बिन्दु पर उपरोक्त इन्सट्रक्टर्स को 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त शासनादेशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतनवृद्धि दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी। कार्य परिषद ने विद्या परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि प्रवक्ता पदनाम/वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

मद संख्या 19: लखनऊ विश्वविद्यालय में कृषि संकाय को सम्मिलित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षित करते हुए यह बताया गया कि जिस महाविद्यालय में कृषि पाठ्क्रम को संचालित किया जा रहा है उनके पास कोई स्थायी संकाय नहीं है न ही कोई नियमित शिक्षक है जिससे नियमों के अनुकूल कृषि संकाय बना पाना संभव नहीं है। जिस पर माननीय सदस्य श्री आर0सी0 त्रिपाठी द्वारा यह पूछा गया कि कृषि महाविद्यालय की सम्बद्धता कहां से दी गयी है यदि लखनऊ विश्वविद्यालय से दी गयी है तो उनके सभी Infrastructural requirement का परीक्षण करा लिया जाय जिसपर माननीय सदस्य एस0पी0 सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कॉलेज द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि महाविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों इन्हीं के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय को परिनियमावली की धारा 07 (B) में जोड़ा जाना है। कार्य परिषद ने यह निर्देश दिये कि सभी अवस्थापना सम्बन्धी मानकों के सत्यापन के साथ--साथ महाविद्यालय से सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी जांच भी करा ली जाय। तदोपरान्त उक्त प्रकरण को कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 20: दिनांक 19.07.2014 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के पूरक कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 04 पर अंकित वित्त समिति की बैठक में सदस्यता हेतु एक व्यक्ति का निर्वाचन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया एवं माननीय कुलपति निम्न सदस्यों में से किसी को भी नामित कर सकते हैं।

1. श्री ए0के0 सिरोही, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक (स्टेट फाईनेन्स सर्विस),
2. श्री बी0एम0 जोशी, संयुक्त/विशेष सचिव (सेवानिवृत्त)
3. श्रीधर पाठक, आई0जी0ई0ओ0डब्लू0 (सेवानिवृत्त)।

मद संख्या 21: जैव– विज्ञान विभाग की पात्रता परीक्षण समिति की सम्पन्न बैठक दिनाँक 07.11.2014 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

1- (A) Dr. Meenal Garg, Lecturer in the Department of Bio-Technology Placed in the Senior Scale of Lecturer under Career Advancement Scheme.
(B) Dr. Meenal Garg, Lecturer in the Department of Bio-Technology granted next higher grade as Assistant Professor (Stage - 3) under Career Advancement Scheme.

2- Dr. Deepak Chandra Associate Professor in the Department of Bio-Technology promoted as a Professor (Stage – 5) Under C.A.S.

संस्कृत विभाग की पात्रता परीक्षण समिति की सम्पन्न बैठक दिनाँक 10.11.2014 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

1- Dr. Ram Sumer Yadav, Associate Professor in Promoted as Professor (Stage - 5) in Sanskrit under Career Advancement Scheme.

2- Dr. Sudha Bajpai, Associate Professor in Sanskrit Promoted as Professor under Career Advancement Scheme.

समाज कार्य विभाग की पात्रता परीक्षण समिति की सम्पन्न बैठक दिनाँक 27.11.2014 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:–

1- Dr. Gurnam Singh, Associate Professor in Social Work Promoted as Professor (Stage-5) under Career Advancement Scheme.

3- Dr. D.K. Singh, Associate Professor in Social Work Promoted as Professor (Stage-5) under Career Advancement Scheme.

4- Dr. Rakesh Dwivedi, Assistant Professor in Social Work granted next higher grade of Assistant Professor (Stage 3) under C.A.S.

5- Dr. A.K. Bhartiya, Assistant Professor in Social Work granted next higher grade of Assistant Professor (Stage 3) under C.A.S.

6- Dr. A.K. Bhartiya Assitant Professor (stage-3) in Social Work granted next higher grade of Assistant Professor (Stage -4) Under C.A.S.

Scanned by CamScanner

समाजशास्त्र विभाग की पात्रता परीक्षण समिति की सम्पन्न बैठक दिनाँक 29.11.2014 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गयाः–

1- Dr. Sushant Kumar Chaudhary, Associate Professor in Sociology Promoted as a Professor (Stage - 5) under Career Advancement Scheme.
2- Dr. Deepti Ranjan Sahu, Associate Professor in Sociology Promoted as a Professor (Stage - 5) under Career Advancement Scheme.
3- Dr. Sharad Kumar, Associate Professor in Sociology has not found suitable for promotion as professor (Stage - 5) under C.A.S.
4- Dr. Promod Kumar Gupta, Assistant Professor in Sociology granted next higher grade Assistant Professor (Stage - 2) Under C.A.S.
5- Dr. Pratibha Raj, Assistant Professor in Sociology granted next higher grade of Assistant Professor stage – 2 Under Career Advancement Scheme.

मद संख्या 22: परिषद द्वारा दिनांक 15.12.2014 की बैठक की कार्यसूची के मद संख्या 08 तथा मद संख्या 19 पर किए गए संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 23: **(i)**दिनांक 15.12.2014 की सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii)कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 12 के सम्बन्ध में सूच्य है कि विषय की महत्वता एवं तत्कालीन आवश्यकता के मद्दे नजर माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम की धारा 13(06) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त समिति के निर्णय को प्रभावी किये जाने से परिषद अवगत हुई।

मद संख्या 24: डॉ0 चेत नारायण सिंह (एडवोकेट) द्वारा विधि संकाय की एल0एल0एम0 परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को अध्यादेश की धारा 13.6 के अन्तर्गत वार्षिक दीक्षान्त समारोह में स्व0 श्री0 शिवा जी चन्दमौली सिंह की स्मृति में स्व0 श्री0 शिवा जी चन्दमौली सिंह मेमोरियल स्वर्ण पदक आवंटित करने के प्रस्ताव पर जमा धनराशि रुपये एक लाख के स्थान पर पाँच लाख किये जाने के उपरान्त अनुमोदित समझा जाय।

मद संख्या 25: डॉ0 ए0के0 जैन द्वारा व्यापार प्रशासन विभाग की IV सेमेस्टर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सत्र 2013–14 से अध्यादेश की धारा 13.6 के अन्तर्गत वार्षिक दीक्षान्त समारोह में डॉ0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन की स्मृति में **"Dr. Sarvapalli Radha Krishnan Memorial Gold Medal"** आवंटित करने के प्रस्ताव पर जमा धनराशि रुपये एक लाख के स्थान पर पाँच लाख किये जाने के उपरान्त अनुमोदित समझा जाय।

Scanned by CamScanner

मद संख्या 26: डॉ0 निशीथ राय, कुलपति, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय द्वारा (एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर) हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को अध्यादेश की धारा 13.6 के अन्तर्गत वार्षिक दीक्षान्त समारोह में डॉ0 राम कमल राय की स्मृति में डॉ0 राम कमल राय मेमोरियल स्वर्ण पदक आवंटित करने के प्रस्ताव पर जमा धनराशि रुपये एक लाख के स्थान पर पाँच लाख किये जाने के उपरान्त अनुमोदित समझा जाय।

मद संख्या 27: दिनांक 15.12.2014 की कार्य परिषद की बैठक की कार्यसूची के मद संख्या 15 में प्रो0 मधुरिमा लाल को 06 माह का Sabbatical leave दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण को उनके द्वारा प्रेषित पत्र, दिनांक 12.12.2014 के क्रम में स्थगित किये जाने हेतु परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 28: परिषद द्वारा प्रो0 अरविन्द अवस्थी, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र, दिनांक 09.12.2014 जो प्रो0 बलजीत सिंह मेमोरियल इन्डोमेन्ट फन्ड के अध्यादेश पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 29: दिनांक 11.12.2014 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक की संस्तुतियों पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 30: परिषद द्वारा प्रो0 पूनम टण्डन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आलोक में परिनियम 15.18 के प्राविधानानुसार डॉ0 टण्डन को अनुमन्य 02 वर्षों के दीर्घ कालीन अवकाश के स्थान पर ड्यूटी लीव के रूप में नियमानुसार परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक समाप्त होने पर माननीय अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा समस्त कार्य परिषद सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं अध्यक्ष की अनुमति से सचिव ने बैठक की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
कुल सचिव/सचिव

(प्रो0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner